जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 20.05.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6004 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 6004 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत प्रजापतिपुर से कालर मारपीट / विवाद में घायल 01 व्यक्ति नाम पता बनकलास पुत्र रामदुलारे ग्राम प्रजापतिपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट / विवाद में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आरक्षी शनि गुप्ता, आरक्षी विपिन मिश्रा, हो0चा0 सुनील गौड़।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 296 वाहनों से 305000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 296 वाहनों से 305000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 800 ग्राम अवैध गाँजा व 01 अदद इलेक्ट्रानिक कांटा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री रामकृष्ण मिश्र* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त अरविन्द चौधरी पुत्र जनार्दन चौधरी निवासी दुबौली(बुजुर्गवार) थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 20.05.2025 को सेवईपार दुबौली मोड़ के पास से कुल 800 ग्राम अवैध गाँजा व 01 अदद इलेक्ट्रानिक काँटा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरविन्द चौधरी पुत्र जनार्दन चौधरी निवासी दुबौली(बुजुर्गवार) थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 234/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 800 ग्राम अवैध गाँजा व 01 अदद इलेक्ट्रानिक काँटा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, हे0का0 मोहन कुमार, का0 सत्यम सिंह, का0 संतोष यादव, म0का0 ललिता।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 20.05.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता दीनानाथ पुत्र दुखराम निवासी पश्चिमी टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 230/2021 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त उपरोक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

कृपया अवगत कराना है कि कल दिनांक 20.05.2025 को समय 10.30 AM पर थाना धनघटा परिसर अन्तर्गत नवनिर्मित पिंक बूथ का उद्घाटन श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री दिनेश कुमार पी0*** द्वारा किया जाएगा तथा थाना बखिरा व महिला थाना अन्तर्गत नवनिर्मित पिंक बूथ का उद्घाटन विशिष्ट अथितियों द्वारा किया जाएगा जिसमें आप सभी प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित हैं।